तारीख क्रम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
8/10/2024	पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील प्रार्थी उप0। पत्रावली में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि वादग्रस्त आराजी की खातेदारी में प्रार्थी का नाम फूलसिंह पुत्र रुपसिंह दर्ज रिकार्ड है जो गलत है। प्रार्थी का सही नाम फूलसिंह पुत्र रुघसिंह है। परन्तु राजस्व रिकार्ड बनाते समय सहवन से वादग्रस्त आराजी में खातेदार प्रार्थी का नाम फूलसिंह पुत्र रुपसिंह गलत दर्ज कर दिया। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड की प्रतियां पेश की एवं प्रार्थी की खातेदारी की अन्य भूमि खाता सं0 88 की जमाबन्दी की प्रति पेश की जिनमें प्रार्थी का सही नाम फूलसिंह पुत्र रुघसिंह दर्ज है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रमाण पत्र सरपंच ग्राम पंचायत महावा पेश किया।	फूलसिंह
	बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि विवादित आराजी के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी खातेदार का नाम फूलसिंह पुत्र रुपसिंह दर्ज कर दिया। प्रार्थी का कथन कि खातेदार का सही नाम फूलसिंह पुत्र रुघसिंह है की पुष्टि आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड से एवं अन्य भूमि खाता सं0 88, प्रमाण पत्र सरपंच ग्राम पंचायत महावा से इसकी पुष्टि होती है। इस प्रकार प्रस्तुत रिकॉर्ड, दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना उचित है।	
	(बृजेश कुमार) उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना नीमकाथाना (सीकर)	
	आदेश	
	उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा निम्नानुसार दुरुस्ती के आदेश दिये जाते है:–	

राजस्व ग्राम	भूमि का विवरण	वर्तमान प्रविष्टि	अमल दरामद की जाने वाली प्रविष्टि
महावा	खाता सं0 89	फूलसिंह पुत्र रुपसिंह	फूलसिंह पुत्र रुघसिंह

शेष इन्द्राजात बदस्तूर रहे। पत्रावली बाद फैसल शुमार व नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना
नीमकाथाना (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2024.11.27 16:55:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner